

06/06/24

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अनुश
न्यायालय समय में वादी वकील को रुक-रुक
कर तीन बार आवाज लगाई लेकिन कोई उप
नहीं आया। अतः वादी का वाद अदम परबी अदम
हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली के साथ
शुमार होकर दायिज दफ्तर है।

सहायक कलक्टर
(SDO) ब्राह्मण